

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी ग्राम लकड़वा की जमाबंदी सन्त 2025-78 की खता-24 में खतेदार का नाम देवा पुत्र रामा हिस्सा 1/6 जालि भील के नाम में दर्ज है जबकी उक्त खतेदार के आधार, श्रान एव अन्य दस्तावेजों में इसे देवीलाल पुत्र रामा के नाम से जाना है।

ऊक्त खतेदार का नाम सुई नं- देवा पुत्र रामा के कजाम देवीलाल पुत्र रामा किम जाल उचित है।

*(Signature)*

*(Signature)*  
01/12/21  
I.C.R. बंसल

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट भू.अ.नि. व पटवारी के आधार पर खता 24 में देवा पुत्र रामा के कजाम देवीलाल पुत्र रामा दर्ज करने की सुझाव की जाती है।

*(Signature)*  
तहसीलदार-खैरवाड़ा  
जिला-उदयपुर

आदेश

तहसीलदार खैरवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार श्रान (य) ग्राम लकड़वा की खता 24 में देवा पुत्र रामा के श्रान पर देवीलाल पुत्र रामा दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।


*(Signature)*  
अधिकारी  
खैरवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, ~~खैरतपुर~~  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन शाखा के संग अभियान, २०२१ कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान ~~खैरतपुर~~

—आदेश:—

~~वडला~~ प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ~~खैरतपुर~~ व भू-अंश की रिपोर्ट तथा ~~खैरतपुर~~ तहसीलदार ~~खैरतपुर~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में ग्राम ~~लकोडा~~ तहसील ~~खैरतपुर~~ जिला ~~खैरतपुर~~ की जमाबन्दी सम्बत् ~~२०२१-२०२२~~ में खाता संख्या ~~७४~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं —

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१	लकोडा	७४	देवी लाल पुत्र रामा भील	देवी लाल पुत्र रामा भील


  
( उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी, खैरतपुर (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलेक्टर, \_\_\_\_\_

क्रमांक :- १०२१/१००

दिनांक :- ०३/१२/२०२१

प्रतिलिपि :-

१. तहसीलदार ~~खैरतपुर~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
२. प्रार्थी श्री ~~देवी लाल पुत्र रामा भील~~ को सूचनाार्थ।
३. रक्षित पत्रावली।

  
पीठासीन अधिकारी ~~खैरतपुर~~ (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलेक्टर, \_\_\_\_\_